रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 381] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 17, 2016/आश्विन 25, 1938

No. 381] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 17, 2016/ASVINA 25, 1938

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2016

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता, और पदोन्नति) तीसरा संशोधन विनियम, 2016

सं.11012/248/2015–प्रशासन.—भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 9 के साथ पठित धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, (भर्ती, वरिष्ठता, और पदोन्नति) विनियम, 1996 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः**– (1) ये विनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता, और पदोन्नति) तीसरा संशोधन विनियम, 2016 कहलाएंगे ।

 (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. मूल विनियमों के विनियम 5 में, उप–विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

 " आगे शर्त यह है कि अध्यक्ष मुख्य महाप्रबंधक स्तर के 39 पदों की कुल स्वीकृत संख्या में परिवर्तन किए बिना अपेक्षानुसार मुख्य महाप्रबंधक स्तर के पदों की परस्पर अदला–बदली अथवा पुनः पदनामित कर सकेगा।"

वीना ईश, सदस्य (प्रशासन)

[विज्ञापन– III/4/असा./269/16(122)]

पाद टिप्पणी: मूल विनियम अधिसूचना सं. एनएचएआर–12011/1/95–प्रशा., तारीख 11 मार्च, 1996, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, तारीख 11 मार्च, 1996 में प्रकाशित किए गए थे तथा इनमें गत संशोधन अधिसूचना सं एनएचएआइ/11011/19/2014–एचआर–I, तारीख 16.05.2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III –खण्ड 4, तारीख 16.05.2016 द्वारा किया गया था ।

स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस संशोधन की अधिसूचना से पहले कर ली गई अथवा करने से लोप करा दी गई किसी बात पर इस संशोधन के प्रख्यापन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2016

The National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Third Amendment Regulations, 2016

No.11012/248/2015-Admn.—In exercise of the powers conferred by section 35, read with section 9, of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the National Highways Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1996, namely: -

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Third Amendment Regulations, 2016.

 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 5 of the principal regulations, after sub-regulation (1), the following clause shall be inserted, namely:—

 "Provided further that Chairman may interchange or re-designate the CGM level posts as per requirement without changing the total sanctioned strength of 39 CGM level posts."

VEENA ISH, Member (Administration)

[ADVT.-III/4/Exty./269/16(122)]

Foot note: The principal regulations were published vide notification No.NHAR-12011/1/95-Admn., dated 11th March, 1996, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 11th March, 1996 and last amended vide notification No.NHAI/11011/19/2014-HR.I dated 16.05.2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III – Section 4, dated the 16.05.2016.

Explanatory Memorandum

Anything done or omitted to be done prior to notification of this amendment shall not be affected by promulgation of this amendment.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR Digitally signed by HARINDRA KUMAR Date: 2016.10.18 16:34:01 +05'30'